ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 15, Issue 5, May 2025 Impact Factor 8.059 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

# *बालेसर तहसील (जोधपुर जिला) में खनन श्रमिकों की*

# सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण

[1]सुरजमल सैनी, [2]डॉ. संतोष आनंद

[1]भूगोल विभाग, महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर।

[2]सह आचार्य (भूगोल), माणिक्य लाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय, भीलवाड़ा।

**सार-**

राजस्थान में खनन, विशेष रूप से बलुआ पत्थर (सैंडस्टोन) का खनन, हजारों श्रमिकों के लिए आजीविका का प्रमुख साधन है। हालांकि, खनन का खतरनाक स्वभाव और श्रमिकों की कमजोर सामाजिक-आर्थिक स्थिति उनके जीवन और कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यह शोध पत्र जोधपुर जिले की बालेसर तहसील में खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करता है, जो मुख्य रूप से बलुआ पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिकों पर केंद्रित है। अध्ययन में शिक्षा, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याओं की जांच की गई है, जो इस क्षेत्र में आम हैं। जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 के बीच 200 खनन श्रमिकों से एक अर्ध-संरचित अनुसूची का उपयोग करते हुए प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। परिणामों से पता चला कि अधिकांश श्रमिक निम्न आय वर्ग से आते हैं, उन्हें शिक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है, और लिंग आधारित आय असमानता मौजूद है। इसके साथ ही, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी प्रथाएं अभी भी इस समुदाय में जारी हैं, जो आर्थिक अस्थिरता को दर्शाती हैं।

अध्ययन में पाया गया कि 66.5% श्रमिक निरक्षर हैं, और महिलाओं (83.78%) में निरक्षरता दर पुरुषों से अधिक है। लगभग 44% श्रमिकों की मासिक आय ₹10,000 से कम है। 75% श्रमिक विवाहित हैं, जिनमें से 14% ने कानूनी उम्र से पहले विवाह किया है। श्रमिकों के पास बुनियादी सुविधाएं जैसे आवास और मोबाइल फोन उपलब्ध हैं, लेकिन फ्रिज और टेलीविजन जैसी वस्तुएं सीमित हैं। निष्कर्षतः, बालेसर के खनन श्रमिक गंभीर सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिसके लिए शिक्षा सुधार, महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक विकास, और बाल श्रम व बाल विवाह पर सख्त कानूनों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

***मुख्य शब्द:*** *खनन श्रमिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, बाल श्रम, निरक्षरता, बालेसर तहसील।*

## 1. परिचय

राजस्थान का खनन उद्योग विशेष रूप से बलुआ पत्थर के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो राज्य की आर्थिक संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान (NIMH) के अनुसार, राजस्थान में खनन से जुड़े श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, लेकिन इसके साथ ही इन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं (NIMH, 2011)। अधिकांश खनन श्रमिक निम्न आय वर्ग से आते हैं और उन्हें कठिन कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याएँ शामिल हैं (मुरलीधर, 2015)।

बालेसर तहसील, जो जोधपुर जिले के रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ बलुआ पत्थर खनन का प्रमुख केंद्र है। इस क्षेत्र में खनन कार्य में लगे श्रमिकों की स्थिति का विश्लेषण करने से हमें उनके जीवन की जटिलताओं और सामाजिक-आर्थिक कठिनाइयों को समझने में मदद मिलती है। यह अध्ययन बालेसर तहसील में खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर केंद्रित है, विशेषकर उन पहलुओं पर जो शिक्षा, बाल श्रम, और विवाह प्रथाओं से संबंधित हैं।

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य बालेसर तहसील के खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का गहन विश्लेषण करना है। इसमें श्रमिकों की आय, शिक्षा का स्तर, बाल श्रम की घटनाएँ, और विवाह प्रथाओं का अध्ययन शामिल है। यह अध्ययन न केवल खनन श्रमिकों के जीवन स्तर को समझने में सहायक होगा, बल्कि यह उन नीतियों और कार्यक्रमों को भी रेखांकित करेगा, जो उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।

## 2. शोध विधि

यह प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित एक वर्णनात्मक शोध अध्ययन है, जिसमें बालेसर तहसील के बलुआ पत्थर खदानों में काम करने वाले श्रमिकों से प्रत्यक्ष साक्षात्कार के माध्यम से जानकारी एकत्रित की गई। ये आंकड़े जनवरी 2023 से अप्रैल 2024 के बीच एकत्रित किए गए। जानकारी एकत्रित करने के लिए एक अर्ध-संरचित अनुसूची (semi-structured schedule) का उपयोग किया गया, जिसमें श्रमिकों की आयु, लिंग, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति, बाल श्रम एवं उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति से संबंधित अन्य जानकारी शामिल थी।

अध्ययन का प्रतिदर्श आकार 200 लिया गया, जो बालेसर तहसील के खनन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। इन 200 उत्तरदाताओं का चयन सरल यादृच्छिक चयन विधि (Simple Random Sampling) द्वारा किया गया। संकलित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत

और औसत जैसे सांख्यिकीय तरीकों से किया गया एवं उनको सारणीबद्ध एवं आरेखों द्वारा प्रदर्शित किया गया है।

## 3. अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले की बालेसर तहसील है, जिसका भौगोलिक विस्तार 26°3' उत्तरी अक्षांश और 72°47' पूर्वी देशांतर पर है। बालेसर, जोधपुर शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है, जिससे यह जिले के मुख्य शहरी केंद्र से जुड़ा हुआ है। इस तहसील का कुल क्षेत्रफल 1839 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे जोधपुर जिले की प्रमुख तहसीलों में से एक बनाता है। बालेसर की सीमाएँ उत्तर में सेखाला और चौमू तहसील, पूर्व में तिंवरी और केरू तहसील, दक्षिण में धवा तहसील, और पश्चिम में शेरगढ़ तहसील तथा बाड़मेर जिले से मिलती हैं। यहां की कुल जनसंख्या 2,34,888 है, जिसमें 41.62% कार्यशील जनसंख्या हैं। अध्ययन क्षेत्र बलुआ पत्थर खनन के लिए प्रसिद्ध है।

**चित्र 1:**

**अध्ययन क्षेत्र का अवस्थिति मानचित्र**

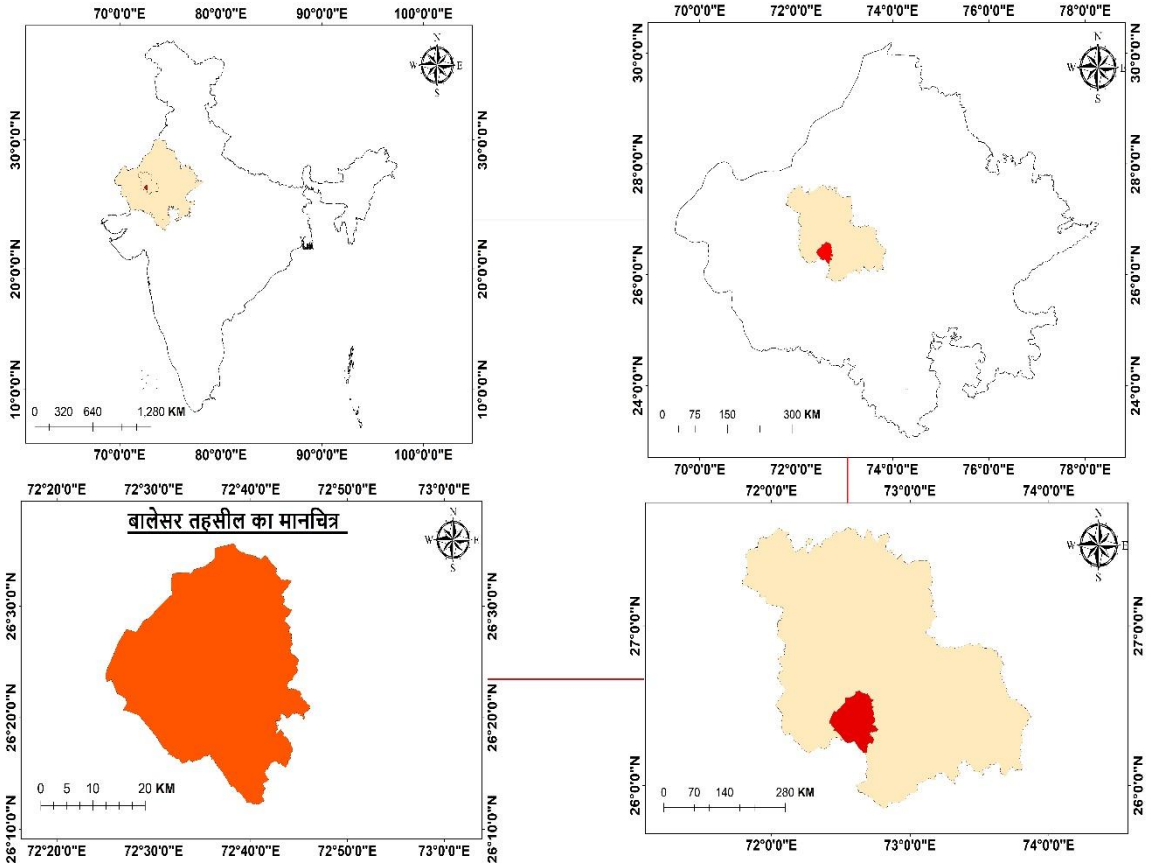


## 4. परिणाम एवं चर्चा

### 4.1 लिंग वितरण

कुल 200 उत्तरदाताओं में से 81.5% (163) पुरुष थे और 18.5% (37) महिलाएँ थीं। खनन गतिविधियों में पुरुषों का वर्चस्व देखा गया, जिसमें पुरुष मुख्यतः खुदाई जैसे शारीरिक कार्यों में लगे थे जबकि महिलाएँ सहायक भूमिकाओं में कार्यरत थीं।

**तालिका 1: लिंग अनुसार खनन श्रमिकों का वितरण**

| लिंग | उत्तरदाताओं की संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|
| पुरुष | 163 | 81.5% |
| महिला | 37 | 18.5% |
| **कुल** | **200** | **100%** |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

**चित्र 2: लिंग अनुसार खनन श्रमिकों का वितरण**

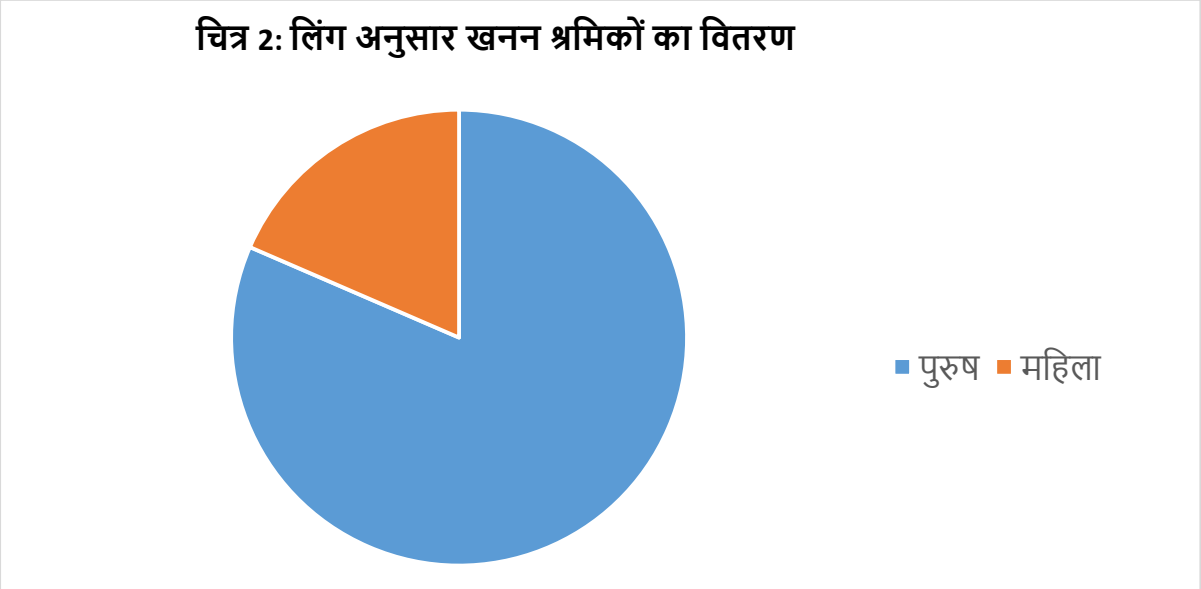


*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

### 4.2 आयु वितरण

श्रमिकों की आयु 20 वर्ष से कम से लेकर 60 वर्ष से अधिक तक फैली थी, औसत आयु 38.4 ± 10.6 वर्ष रही। पुरुष श्रमिकों की आयु महिलाओं की तुलना में कम थी, जहां अधिकांश पुरुष श्रमिक 30-39 वर्ष की आयु वर्ग में थे, जबकि महिलाएँ अपेक्षाकृत अधिक आयु वर्ग में पाई गईं।

**तालिका 2: लिंग के अनुसार श्रमिकों का आयु वितरण**

| आयु वर्ग (वर्ष) | पुरुष | % | महिला | % | कुल | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 से कम | 9 | 5.52% | 1 | 2.7% | 10 | 5.00% |
| 21-35 | 75 | 46.01% | 14 | 37.84% | 89 | 44.50% |
| 36-50 | 57 | 34.97% | 15 | 40.54% | 72 | 36.00% |
| 51-60 | 15 | 9.20% | 6 | 16.22% | 21 | 10.50% |
| 60 से अधिक | 7 | 4.29% | 1 | 2.7% | 8 | 4.00% |
| **कुल** | **163** | **100.00%** | **37** | **100.00%** | **200** | **100.00%** |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

**चित्र 3: श्रमिकों का आयु वितरण**

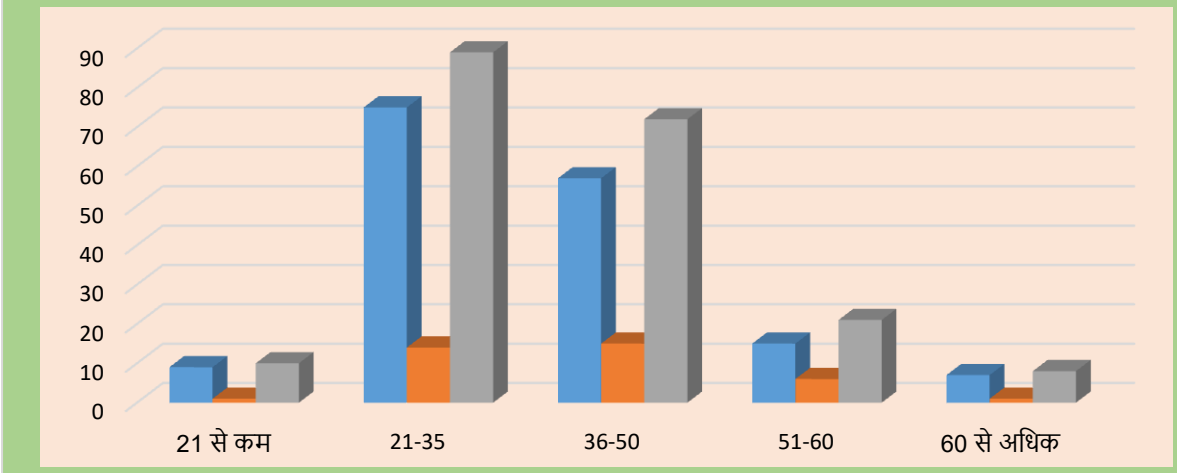


*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

### 4.3 शैक्षिक स्थिति

अध्ययन में पाया गया कि श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर था, जिसमें 62.58% पुरुष और 83.78% महिलाएँ थीं। 19.00% श्रमिकों ने प्राथमिक शिक्षा, 9.5% ने माध्यमिक शिक्षा पूरी की थी और केवल 5% ने उच्च माध्यमिक एवं उससे ऊपर शिक्षा प्राप्त की थी। यह इस क्षेत्र में शिक्षा के अभाव को दर्शाता है, विशेष रूप से महिलाओं में।

**तालिका 3: श्रमिकों की शैक्षिक स्थिति**

| शैक्षिक स्तर | पुरुष | % | महिला | % | कुल | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| निरक्षर | 102 | 62.58 | 31 | 83.78 | 133 | 66.50 |
| प्राथमिक | 33 | 20.25 | 5 | 13.51 | 38 | 19.00 |
| माध्यमिक | 18 | 11.04 | 1 | 2.70 | 19 | 9.50 |
| उच्च माध्यमिक एवं उससे ऊपर | 10 | 6.13 | 0 | 0 | 10 | 5.00 |
| **कुल** | **163** | **100.00%** | **37** | **100.00%** | **200** | **100.00%** |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

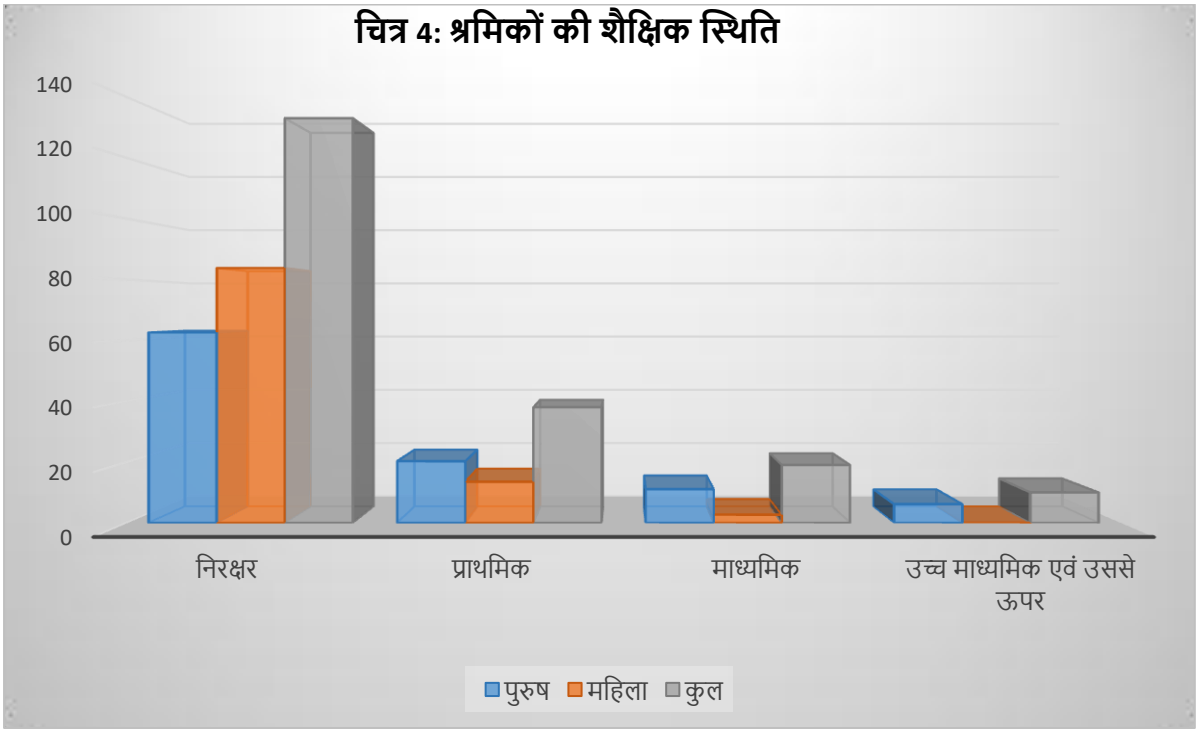


*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

### 4.4 वैवाहिक स्थिति और विवाह की आयु

कुल 75% श्रमिक विवाहित थे, जिनमें से 14% ने कानूनी आयु (पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष) से पहले विवाह किया था। बाल विवाह की घटनाएँ महिलाओं में

अधिक प्रचलित थीं, जहाँ 25.81% महिलाएँ 18 वर्ष से पहले ही विवाहित थीं, जबकि 10.92% पुरुषों ने कानूनी आयु से पहले विवाह किया था।

**तालिका 4: वैवाहिक स्थिति और विवाह की आयु**

| **वैवाहिक स्थिति** | | **पुरुष** | **महिला** | **कुल** |
|---|---|---|---|---|
| विवाहित | कानूनी आयु से पहले | 13 (10.92%) | 8 (25.81%) | 21 (14.00%) |
| | कानूनी आयु के बाद | 106 (89.08%) | 23 (74.19%) | 129 (86.00%) |
| | **कुल** | 119 (73.01%) | 31 (83.78%) | 150 (75.0%) |
| अविवाहित /तलाकशुदा/ विधवा | | 44 (26.99%) | 6 (16.22%) | 50 (25.0%) |
| **कुल** | | 163 (100%) | 37 (100%) | 200 (100%) |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

### 4.5 बाल श्रम

अध्ययन में पाया गया कि कुल 5.5% श्रमिकों के परिवार में बाल श्रम हो रहा था। बाल श्रम की घटनाएँ पुरुष और महिला श्रमिकों में समान रूप से पाई गईं। हालांकि, यह एक चिंताजनक मुद्दा है, जो इस क्षेत्र में आर्थिक अस्थिरता को दर्शाता है।

**तालिका 5: बाल श्रम की घटनाएँ**

| **बाल श्रम** | **पुरुष** | **महिला** | **कुल** |
|---|---|---|---|
| हाँ | 9 (5.52%) | 2 (5.41%) | 11 (5.50%) |
| नहीं | 154 (94.48%) | 35 (94.59%) | 189 (94.50%) |
| **कुल** | **163 (100.00%)** | **37 (100.00%)** | **200 (100.00%)** |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

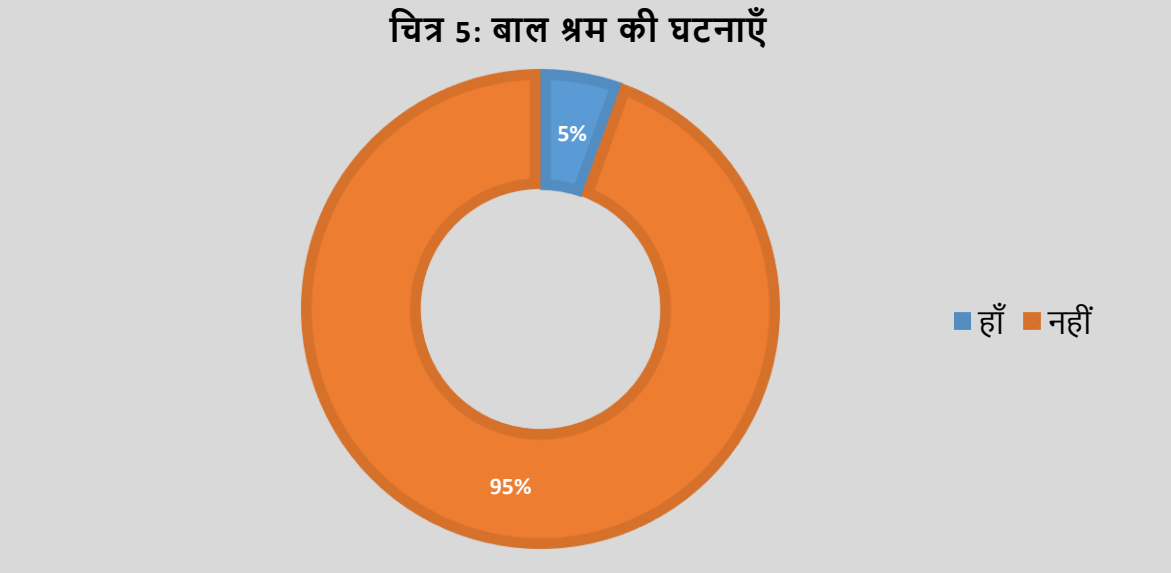


*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

### 4.6 श्रमिकों की आय

ज्यादातर श्रमिकों का आय स्तर निम्न पाया गया है। श्रमिकों की आय में पुरुषों और महिलाओं के बीच बड़ा अंतर पाया गया है। कुल श्रमिकों में से 44% की आय ₹10,000 से कम है, जिसमें महिलाओं का प्रतिशत (78.38%) पुरुषों (36.19%) से अधिक देखा गया है। ₹10,000 से ₹20,000 के आय वर्ग में 39% श्रमिक आते हैं, जिसमें पुरुषों की भागीदारी (43.56%) महिलाओं (18.92%) से अधिक पाई गई है। ₹20,000 से ₹30,000 तक की आय में भी पुरुषों का प्रतिशत (16.56%) महिलाओं (2.70%) से अधिक देखा गया है। ₹30,000 से अधिक आय केवल 3% श्रमिकों की पाई गई है, और इनमें सभी पुरुष शामिल हैं।

**तालिका 6: श्रमिकों की आय**

| **मासिक आय (रुपये में)** | **पुरुष** | **महिला** | **कुल** |
|---|---|---|---|
| 30,000 से अधिक | 6 (3.68%) | 0 (0.00%) | 6 (3.00%) |
| 20,000 से 30,000 | 27 (16.56%) | 1 (2.70%) | 28 (14.00%) |
| 10,000 से 20,000 | 71 (43.56%) | 7 (18.92%) | 78 (39%) |
| 10,000 से कम | 59 (36.19%) | 29 (78.38%) | 88 (44%) |
| **कुल** | **163** (100.00%) | **37** (100.00%) | **200** (100.0%) |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

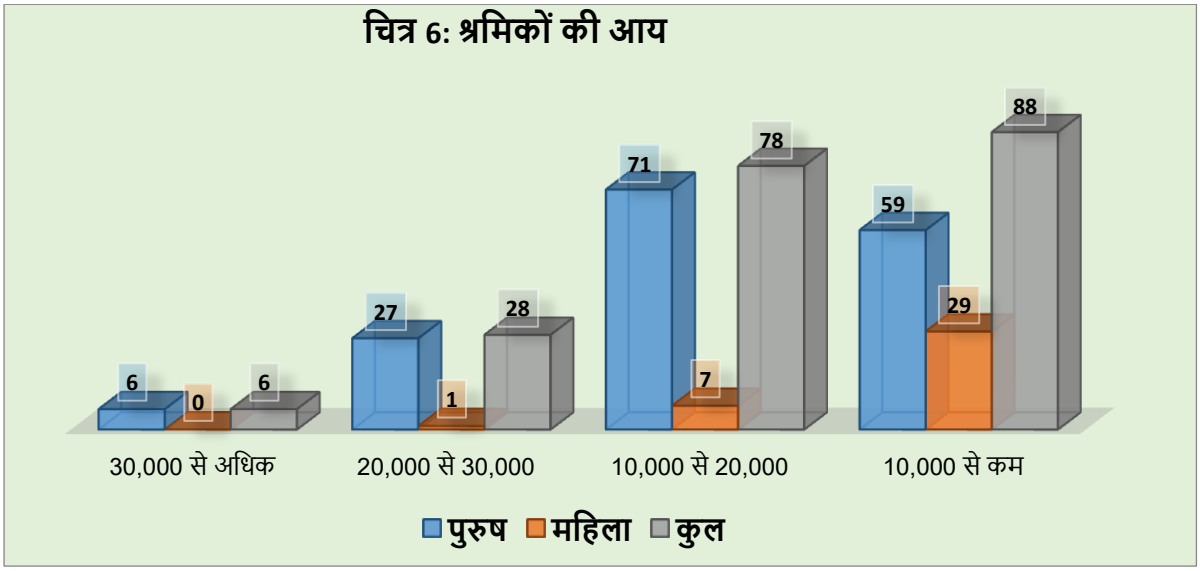


*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

### 4.7 विभिन्न सुविधाजनक वस्तुओं की उपलब्धता

श्रमिकों के पास विभिन्न सुविधाजनक वस्तुओं की उपलब्धता में अंतर पाया गया है। 86.5% श्रमिकों के पास आवास है, और 68.5% के पास दोपहिया वाहन हैं। सभी श्रमिकों (100%) के पास मोबाइल फोन है, जबकि 54.5% के पास टेलीविजन है। फ्रिज केवल 28% श्रमिकों के पास उपलब्ध है, जबकि कूलर 84% और पंखा 99.5% श्रमिकों के पास हैं।

**तालिका 7: श्रमिकों के पास विभिन्न सुविधाजनक वस्तुओं की उपलब्धता**

| सुविधाजनक वस्तुए | उपलब्धता | |
|---|---|---|
| | हाँ | नहीं |
| आवास | 173 (86.5%) | 27 (13.5%) |
| दो पहिया वाहन | 137 (68.5%) | 63 (31.5%) |
| मोबाइल | 200 (100.0%) | 0 (0%) |
| टेलीविजन | 109 (54.5%) | 91 (45.5%) |
| फ्रिज | 56 (28.0%) | 144 (72.0%) |
| कूलर | 168 (84.0%) | 32 (16.0%) |

| | | |
|---|---|---|
| पंखा | 199 (99.5%) | 1 (0.5%) |

*स्रोत: प्राथमिक सर्वेक्षण 2023-24*

## 5. निष्कर्ष

इस अध्ययन में बालेसर तहसील (जोधपुर जिला) के खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विश्लेषण किया गया है, जिसमें लैंगिक असमानता, शिक्षा की कमी, बाल श्रम और बाल विवाह जैसी समस्याएँ सामने आई हैं। श्रमिकों में निरक्षरता और निम्न आय स्तर व्यापक रूप से पाए गए हैं, विशेष रूप से महिलाओं में। अधिकतर श्रमिकों की मासिक आय ₹10,000 से कम है, और पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आय काफी कम पाई गई। बाल श्रम और बाल विवाह जैसी प्रथाएँ इस क्षेत्र में अब भी जारी हैं, जो श्रमिकों की कमजोर आर्थिक स्थिति और सामाजिक संरचना की ओर संकेत करती हैं।

सुविधाओं की दृष्टि से, अधिकांश श्रमिकों के पास बुनियादी सुविधाएँ जैसे आवास और मोबाइल फोन हैं, लेकिन टेलीविजन, फ्रिज, और दोपहिया वाहन जैसी सुविधाएँ सीमित संख्या में ही उपलब्ध हैं। कुल मिलाकर, खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर पाई गई है, जो शिक्षा, आय, और जीवन स्तर में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

## 6. सुझाव

इस अध्ययन के आधार पर, बालेसर तहसील के खनन श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं:

1. **शिक्षा अभियान:** निरक्षरता दूर करने के लिए शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए।
2. **आर्थिक सुधार:** वैकल्पिक रोजगार के अवसर और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना।
3. **महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना।
4. **स्वास्थ्य और सुरक्षा:** श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा उपायों का सख्त पालन करना।
5. **बाल श्रम और बाल विवाह रोकथाम:** कड़े कानूनों का पालन और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना।
6. **सामाजिक सुरक्षा:** श्रमिकों को पेंशन, बीमा, और चिकित्सा लाभों का प्रभावी रूप से उपलब्ध कराना।
7. **आधारभूत सुविधाएं:** श्रमिकों के लिए बिजली, स्वच्छ जल, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं का सुधार करना।

## 7. संदर्भ


- मुरलीधर, वी. (2015). राजस्थान में सिलिकोसिस: वर्तमान स्थिति और रोकथाम रणनीतियाँ। *भारतीय व्यावसायिक और पर्यावरण चिकित्सा जर्नल*, *19*(2), 61-66।
- नंदी, एस., एवं धात्रक, एस. वी. (2017). राजस्थान में खनन श्रमिकों के बीच स्वास्थ्य जोखिम: एक समीक्षा। *अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य और सहयोगी विज्ञान जर्नल*, *6*(2), 74-82।
- राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान। (2011). *राजस्थान के खनन श्रमिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य स्थिति*। एनआईएमएच रिपोर्ट।
- शमीम, एम., अहमद, टी., एवं रिजवी, टी. (2017). भारत में खनन श्रमिकों में श्वसन विकारों की व्यापकता: एक प्रणालीगत समीक्षा। *भारतीय व्यावसायिक और पर्यावरण चिकित्सा जर्नल*, *21*(3), 153-157।
- सिंह, ए., गुप्ता, वी. के., कुमार, आर., एवं शर्मा, ए. (2006). पत्थर खदान श्रमिकों की व्यावसायिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ। *अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य शोध जर्नल*, *16*(5), 383-392।